

.....**उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर**.....

.....**22/1/19**.....

.....**तारीख रजू**.....

गोविन्दसिंह **बनाम** **रामखिलाडी**


| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|---|
|-------------|------------------------------------|---|

24.12.2019

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय मुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 557, 558, 561, 562, 588, 662, वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।


अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 18.02.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.02.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) कठूमर (अलवर)

24/5/23

वकील जमी
साबिक आदेश दिनांक
की पालना में पत्रा ली करते
दिनांक 10/4/23 को पत्र हो।


उपस्थित अधिकारी
कलकत्ता (अलवर)

10.4.23

वकील जमी
साबिक आदेश दिनांक
की पालना में पत्रा ली करते
दिनांक 09.10.23 को पत्र हो।


उपस्थित अधिकारी
कलकत्ता (अलवर)


30/5/23

बनुवाय बरोकेन एच.प.ओ.
बाह्य अल्प काम में पत्र
पत्रापत्री दिनांक 21/8/23
को पत्र हो।



21/8/23

वकील जमी उपरोक्त नही आये व फील व इनके
जमी के शा. 2 आवेज डिलाई गइ।
कोई उपलब्ध नही आये अतः प्रार्थना-एच प्र
12/8/23 वकील जमी की अल्प पत्रा - अल्प
हाजरी में इसी स्टेज पर धारित भया
जाता हो पत्रापत्री केमल शुभर एके नवके
वह से वरि हकीकत अलवाद कि कथ नही
रही हुक्म

570

उपस्थित अधिकारी
कलकत्ता (अलवर) राज